संसद में महाभियोग पर बहस के बजाय जनसंवाद जरूरी

इंडिया गठबंधन ने सीईसी के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने की बनाई रणनीति

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मोर्चाबंदी राजनीतिक टकराव से आगे नीतिगत टकराव की ओर बढ़ रही है. विपक्षी मोर्चा इस टकराव को बहुस्तरीय मोर्चे पर अलग-अलग स्वरूप के साथ बढ़ाते हुए आम मतदाताओं के बीच का विमर्श बनाने की तैयारी में है.



इतना ही नहीं इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी, वैधानिक व वैचारिक विमर्श में विशेषज्ञों व क्षेत्र विशेष के अनुभवी दिग्गजों को शामिल कर बहस की गंभीरता को बनाए रखने की कोशिश में हैं वहीं दूसरी ओर संसद के भीतर की राजनीतिक बिसात पर एक बड़ा और अप्रत्याशित नीतिगत बदलाव करते हुए शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने के बजाय सीईसी के नीतिगत निर्णयों के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं.

इसी तरह संसद के भीतर की रणनीति भी आक्रामक बनाई गई है. सूत्रों की मानें तो आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का मन बनाया था, लेकिन सत्तापक्ष के तेवरों को भांपते ही इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है. दरअसल गठबंधन के शीर्ष रणनीतिकारों को इस बात की पुख्ता भनक लग चुकी है कि जैसे ही विपक्ष महाभियोग का नोटिस देगा, सरकार इस बार उसे तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय तुरंत स्वीकार कर लेगी. सत्तापक्ष की योजना विपक्ष को सदन के भीतर एक ऐसी बहस के लिए मजबूर करने की है जहां परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को जवाब देना होता है. सरकार की योजना है कि सदन के पटल पर पूरे आंकड़ों, ऐतिहासिक संदर्भों और ठोस तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह आक्रामक पलटवार करते हुए विपक्ष के सारे तीखे सवालों को उसी के हथियार से पस्त कर दें. जन आंदोलन की जो धार वे जमीनी स्तर पर तैयार कर रहे हैं, वह पूरी तरह कुंद हो जाएगी.

निष्पक्षता पर उठाए सवाल

जानकार बता रहे हैं कि विपक्ष इस बार चुनावी मशीनरी की साख और निष्पक्षता के सवाल को न सिर्फ सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी में है, बल्कि इसे एक बेहद सधे हुए और दीर्घकालिक विमर्श के रूप में स्थापित करना चाहता है. रणनीति के पहले मोर्चे पर जहां देशव्यापी जन आंदोलन के जरिए मतदाताओं के बीच एक गहरी विमर्श की जमीन तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश के जाने-माने कानूनी दिग्गजों को साथ लेकर एक मजबूत बौद्धिक और संवैधानिक आधार तैयार किया जा रहा है. गठबंधन के रणनीतिकार यह भली-भांति समझते हैं कि केवल राजनीतिक नारों से इस संवेदनशील मुद्दे को लंबा नहीं खींचा जा सकता. इसीलिए पूर्व न्यायाधीशों के पत्रों और बयानों की काट के रूप में देश के उन वरिष्ठ पूर्व नौकरशाहों और पूर्व चुनाव आयुक्तों को आगे करने की तैयारी की जा रही है जिनकी प्रशासनिक छवि निर्विवादित रही है. इनके माध्यम से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी विधिक खामियों को तकनीकी व प्रशासनिक तर्कों के साथ सार्वजनिक मंचों पर लाया जाएगा, जिससे आम जनता के बीच विपक्ष के आरोपों को एक गंभीर और बौद्धिक विमर्श के रूप में स्वीकार्यता मिल सके.

नाना पाटेकर के निधन पर पुलिस ने केस किया दर्ज

- गोवा पुलिस अप्राकृतिक मौत का लागाएगी पता
- अस्पताल से पुलिस को मिली थी सूचना



पणजी, 9 अक्टूबर. अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है.

गुरूवार को बामबोलिम स्थित मणिपाल अस्पताल से सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस सब-इंस्पेक्टर नितिन नाइक इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं. 8 अक्टूबर की सुबह करीब 8:07 बजे मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर ने पणजी पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी दी थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आवश्यक जानकारी जुटाई. पुलिस रिकॉर्ड में अभिनेता का स्थायी पता मुंबई के अंधेरी वेस्ट का दर्ज है. नाना ने रात करीब 2:30 बजे अपने एक दोस्त को संदेश भेजकर तबीयत ठीक नहीं होने की बात कही थी. हालांकि, देर रात होने के कारण दोस्त समय पर संदेश नहीं देख सका. सुबह करीब चार बजे दोस्त उनके पास पहुंचा, तब नाना की हालत काफी बिगड़ चुकी थी. फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है.

कोयला कर्मियों के पीएफ के 727 करोड़ डूबे

- हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच
- 2.5 लाख कर्मचारियों के पीएफ पर मंडराया संकट



नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

रांची, 9 अक्टूबर. कोयला उद्योग में काम करने वाले करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़े 727.67 करोड़ रुपये के निवेश नुकसान के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश दिया है.

यह मामला कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) में किए गए निवेश से जुड़ा है. डीएचएफएल के दिवालिया होने के बाद निवेश की बड़ी रकम डूब गई थी. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के संजीव कुमार श्रीवास्तव की ओर से वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया.

डीएचएफएल में लगाए थे 1300 करोड़

सीएमपीएफओ ने डीएचएफएल में करीब 1300 करोड़ रुपये का निवेश किया था. कंपनी के दिवालिया होने के बाद इसमें से 727.67 करोड़ रुपये की रकम डूब गई. यह निवेश कोयला कर्मचारियों की भविष्य निधि से संबंधित था, इसलिए नुकसान ने कर्मचारियों की जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. याचिका में आरोप लगाया गया कि निवेश की जोखिमपूर्ण स्थिति की जानकारी मिलने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए.

जून 2019 में जारी हुआ था रेड अलर्ट

सीएमपीएफओ के फंड मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक और यूटीआई ने 24 जून 2019 को ही डीएचएफएल की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था. उन्होंने संगठन को निवेश की रकम निकालने की सलाह भी दी थी. इसके बावजूद आरोप है कि तत्कालीन ट्रस्टियों ने समय रहते रकम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की. डीएचएफएल दिवालिया होने के करीब छह महीने बाद, 20 दिसंबर 2019 को निवेश की राशि निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया.

यूसुफ समेत टीएमसी के 10 बागी सांसद बैठक से गायब

स्पीकर के नोटिस को लेकर बढ़ी मुश्किलें

नवभारत न्यूज नेटवर्क

कोलकाता, 9 अक्टूबर. टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन करने वाले 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस का जवाब देने की निर्धारित समयसीमा समाप्त हो गई है.

इस बीच, सांसदों ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है. दूसरी ओर, कोलकाता में हुई बागी सांसदों की बैठक में 20 में से केवल 10 सदस्य ही पहुंचे. बैठक से यूसुफ पठान और सायोनी घोष जैसे प्रमुख सांसदों की गैरमौजूदगी ने राजनिति तेज कर दी है. बैठक में मौजूद नेताओं ने अनुपस्थित सांसदों को लेकर मतभेद की अटकलों को खारिज किया. उनके मुताबिक, कुछ सांसद विदेश में हैं, कुछ पारिवारिक कारणों से व्यस्त हैं, जबकि अन्य अपने निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण बैठक में नहीं पहुंच सके. वहीं सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि कौन बैठक में शामिल हुआ और कौन नहीं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है. शर्मिला सरकार ने भी कहा कि अनुपस्थित सदस्यों के साथ कोई गलतफहमी नहीं है.



बैठक में आगे की रणनिति पर हुई चर्चा

वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कोलकाता के एक होटल में बागी सांसदों की बैठक बुलाई थी. इसमें आगे की कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई. हालांकि, आधे सांसदों के बैठक में शामिल नहीं होने से कई सवाल उठे.

जेवर एयरपोर्ट का नाम होगा नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

नवभारत न्यूज

लखनऊ, 9 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैबिनेट में अभिनंदन प्रस्ताव भी पेश किया गया. इसी क्रम में जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, नाम परिवर्तन की आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नया नाम आधिकारिक तौर पर लागू होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

एक नजर में

ग्रीन दुर्गा पूजा पर बंगाल सरकार देगी 1 लाख का इनाम

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है. इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली पूजा समितियों को ग्रीन दुर्गा पूजा एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा. योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाली समिति को एक लाख रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाली समिति को 80 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली समिति को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

'काला हिरण' विवाद में सलमान को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म 'काला हिरण-द बैटल फॉर लेगेसी' से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान खान से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी की पीठ ने यह आदेश निर्माता की उस याचिका पर दिया, जिसमें सलमान खान की ओर से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस करने की मांग की गई है. निर्माता का तर्क है कि सलमान खान पहले ही व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े एक अन्य मुकदमे में इस फिल्म को लेकर राहत मांग चुके हैं. ऐसे में नया मुकदमा समान मुद्दों पर आधारित है और इस पर विचार करने के लिए अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर सवाल उठता है. दरअसल, सलमान खान ने फिल्म और उसकी प्रचार सामग्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था. अभिनेता का आरोप है कि फिल्म उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती है.

हस्तियों के ट्वीट



कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब संस्थागत खामियों को चुपचाप स्वीकार करना नहीं है. इसके बजाय, चुनाव व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव की लड़ाई लड़ने का अवसर देते हैं. इतिहास बताता है कि चुनावी प्रक्रिया के जरिए सत्ता में आए सत्तावादी और प्रभावशाली दल केवल नैतिक अपीलों या प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शनों से शायद ही कमजोर पड़ते हैं. ऐसे में संस्थागत खामियों को चुनौती देना बदलाव की दिशा में जरूरी कदम है.



शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य सूखे की मार झेल रहा है, वहीं उद्योग विभाग के अधिकारियों के लंदन सम्मेलन में शामिल होने पर 5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. मंत्री ने अंतिम समय में दौरा रद्द कर दिया, लेकिन अधिकारियों के जाने की जरूरत पर सवाल उठते हैं. उन्होंने पूछा कि करदाताओं का पैसा विदेश दौरे पर खर्च करने के बजाय अधिकारियों को जिलों में जाकर संभावित अल नीनो के दौरान बिजली और जल प्रबंधन की तैयारी नहीं करनी चाहिए?

हवा में 25 हजार फीट नीचे आया विमान

मियामी. कोलंबिया से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रही एवियांका एयरलाइन की एक उड़ान शुक्रवार, 9 अक्टूबर को भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. विमान में तेज झटकों के कारण यात्रियों को चोटें आईं, जिसके बाद फ्लाइट को रास्ता बदलकर अमेरिका के मियामी में आपात स्थिति में उतारना पड़ा. कम आठ यात्रियों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया. इनमें से एक घायल को राइडर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. 8 अक्टूबर की रात करीब 10:40 बजे कोलंबिया के मेडेलिन से उड़ान भरी थी. न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना था. उड़ान के लगभग ढाई घंटे बाद कैरेबियन सागर के ऊपर विमान तेज टर्बुलेंस में फंस गया.

चार राज्यों के उपचुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड जीत

- हसीरानी रथ 1.22 लाख वोटों से जीतीं
- रेजीनगर में भी भाजपा का कब्जा

नवभारत न्यूज

कोलकाता, 9 अक्टूबर. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में उपचुनाव के नतीजों में भाजपा और एनडीए को बढ़त मिली है.

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीटों पर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने कब्जा जमाया. पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर एनडीए समर्थित ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद जीते. असम की नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा जीते थे. नंदीग्राम में भाजपा की हसीरानी रथ ने 1,22,753 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. उन्हें कुल 1,64,427 वोट मिले. इस जीत के साथ उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का 2016 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया. उस समय शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 81,230 वोटों से जीत हासिल की थी.

बच्चे के सिर पर बजाया 'तबला', प्रिंसिपल सस्पेंड

- स्कूल में बच्चे के सिर पर थपकी का वीडियो वायरल
- मामले की 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश



नवभारत न्यूज नेटवर्क

इटावा, 9 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है.

वीडियो में प्रधानाध्यापक एक छात्र के सिर पर हाथ से थपकी देते हुए तबला बजाने जैसी हरकत करते नजर आ रहे हैं. घटना को छात्र की गरिमा के विरुद्ध मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजेश कुमार ने प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. मामला इटावा जिले के बिरौली स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार कक्षा के भीतर एक छात्र के सिर पर हाथ से थपकी देते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कक्षा में मौजूद अन्य बच्चे हंसते नजर आते हैं. बताया गया है कि छात्र का हाल ही में मुंडन हुआ था. इसी दौरान प्रधानाध्यापक ने उसके सिर पर हाथ से तबला बजाने जैसी हरकत की. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया.

बीएसए ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. विभाग ने वीडियो में दिखाई दे रहे व्यवहार को अनुचित मानते हुए छात्र की गरिमा से जुड़ा मामला बताया है. निलंबन आदेश के अनुसार, कार्रवाई के बाद दिनेश कुमार को सैफई स्थित खंड शिक्षा संसाधन केंद्र से संबद्ध किया गया है.

उड़ान भरते ही लापता हुआ 40 लाख का ड्रोन

- अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए मंगाया गया था ड्रोन
- भूपतवाला में टूटा संपर्क पुलिस तलाश में जुटी



नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

हरिद्वार, 9 अक्टूबर. उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्द्धकुंभ की तैयारियों से जुड़े कार्यों के लिए मंगाया गया करीब 40 लाख रुपये कीमत का अत्याधुनिक ड्रोन उड़ान भरने के बाद लापता हो गया. ड्रोन का अंतिम लोकेशन उत्तर हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में मिला था.

काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चल सका. मामले में आईआईटी रुड़की के कर्मचारी शिवम नौटियाल की ओर से शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मैपिंग और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए आईआईटी रुड़की से ड्रोन हरिद्वार लाया गया था. गुरुवार को भूपतवाला क्षेत्र में ड्रोन करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका कंट्रोल से संपर्क टूट गया. इसके बाद ड्रोन की तलाश शुरू की गई. लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला.

बैटरी खत्म होने या तकनीकी खराबी की आशंका

बताया जा रहा है कि ड्रोन का बैटरी बैकअप चार से छह घंटे तक था. इसी भरोसे पर कर्मचारी उसे उड़ता छोड़कर खाना खाने गए थे. आशंका जताई जा रही है कि बैटरी डिस्चार्ज होने, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से ड्रोन नीचे गिर गया हो. हालांकि, अभी तक उसके लापता होने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस को आशंका है कि ड्रोन जंगल में कहीं गिरा हो सकता है या जंगल से सटे रिहायशी इलाके में गिरने के बाद किसी ने उसे उठा लिया हो. इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तलाश की जा रही है. जानकारी के अनुसार, करीब 40 लाख रुपये कीमत का यह ड्रोन पेलोड और अत्याधुनिक कैमरों से लैस था.

आज का इतिहास

- 1910 – प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी.
- 1933– यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बोइंग 247 विमान हवा में विस्फोट होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
- 1954– वियत मिन्ह ने हनोई पर कब्जा कर उत्तरी वियतनाम पर नियंत्रण स्थापित किया.
- 1964– टोक्यो ओलंपिक खेलों का पहली बार सीधा दूरदर्शन और सैटेलाइट से प्रसारण किया गया.
- 1970– फिजी देश को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली.

एच-1बी वीजा पर वेंस के बयान से भारत नाराज

- भारतीय पेशेवरों को बंधुआ मजदूर कहने पर जताई आपत्ति
- विदेश मंत्रालय का जवाब, भारतीय योगदान को सराहा



नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को 'बंधुआ मजदूर' बताने वाली टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है.

विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा अपमानजनक है और प्रवासियों के योगदान को नजरअंदाज करती है. वेंस ने अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को विदेशी 'बंधुआ मजदूरों' को रोजगार देने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक बताया था. भारत ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय पेशेवर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में

सम्मान तमिल मूल परिवार में जन्मीं पिल्लई ने कानून की ताकत से अन्याय के खिलाफ लगातार उठाई बुलंद आवाज

रंगभेद समेत रवांडा नरसंहार को लेकर न्याय की लड़ी लड़ाई

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर. कानून की ताकत जब अन्याय के सामने खड़ी होती है, तो वह उन लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है, जिनकी आवाज व्यवस्था तक नहीं पहुंचती.

दक्षिण अफ्रीका की प्रख्यात न्यायविद नवनेथम 'नवी' पिल्लई का जीवन इसी संघर्ष की मिसाल है. भारतीय तमिल मूल के परिवार में जन्मीं पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है. नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इसकी घोषणा करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने और शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को रेखांकित



किया. उनका सफर रंगभेद के दौर में भेदभाव का सामना करने से लेकर वैश्विक न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक फैला है.

1967 में वकालत शुरू करने के बाद वह नटाल प्रांत में स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस स्थापित करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं. उन्होंने रंगभेद का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं और हिरासत में रखे गए लोगों के अधिकारों की पैरवी की.

1 23 सितंबर 1941 को डरबन में जन्मीं नवी पिल्लई का परिवार तमिलनाडु से संबंध रखता है. उनके दादा-दादी 1890 के दशक में मजदूरी के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे. उनके पिता नारायणसामी नायडू बस चालक थे. ऐसे सामाजिक परिवेश में पली-बढ़ीं पिल्लई ने कानून को समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का माध्यम बनाया.

2 पिल्लई के न्यायिक करियर का महत्वपूर्ण अध्याय रवांडा नरसंहार से संबंधित मामलों की सुनवाई रहा. वर्ष 1995 में उन्हें रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 1999 से 2003 तक उन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की. जीन-पॉल अकायेसु मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित परिस्थितियों में यौन हिंसा नरसंहार का हिस्सा हो सकती है.

3 वर्ष 2003 में पिल्लई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश चुनी गईं. 2008 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद संभाला और अगस्त 2014 तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया. इस दौरान उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों को उठाया. महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा.

उनके शुरुआती संघर्ष ने आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की राह तैयार की. नोबेल समिति के अनुसार, पिल्लई का योगदान युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने से जुड़ा है. यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय कानून, न्यायिक संस्थाओं और मानव गरिमा की रक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है.

मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई

27 आईईडी निष्क्रिय, तीन उग्रवादी और एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इंफाल, 9 अक्टूबर. मणिपुर के कामजोंग जिले में असम राइफल्स और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर 27 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का पता लगाया और उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया.

करीब 8 किलोमीटर लंबे पहाड़ी मार्ग पर 48 घंटे तक चले खुफिया सूचना आधारित अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने झाड़ियों में छिपाकर रखे गए इन विस्फोटक उपकरणों को बरामद किया. इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को भी पकड़ा गया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, असम राइफल्स और भारतीय सेना की बम निरोधक टीमों ने कामजोंग जिले में शांगखालोक-पिलोंग मार्ग पर अभियान चलाया. इस दौरान पहाड़ी रास्ते के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखे गए 27 आईईडी का पता लगाया गया और उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया.

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर भाजपा का दबदबा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए सियासी तस्वीर साफ हो गई है. भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं. नामांकन पत्रों की जांच में दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने और नाम वापसी की समयसीमा तक किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में नहीं रहने से सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया. इसके साथ ही 16 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता समाप्त हो गई और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया. भाजपा की ओर से राज्यसभा पहुंचने वालों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, भाजपा के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश पाल, आदि शामिल हैं.